7.5.18 वकील अपीलान्ट उपव दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपीलान्टस ने जरिये विक्रय पत्र जमीन खरीद की थी परन्तु विक्रय पत्र का नामा० भरते समय हिस्सा गलत अंकित कर दिया गया एवं दिनांक भी गलत अंकित की है। ग्राम पंचायत द्वारा नामा० स्वीकार कर दिया गया। अतः ग्रामपंचायत का आदेश निरस्त फरमाया जाकर नामा० पुन: विक्रय पत्र के अनुसार भरने के आदेश प्रदान करें।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड व विक्रय पत्रो का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 28-2-2008 के अवलोकन से पाया गया कि मूंगा पि० शुल्ला कोम गुर्जर निवासी बालडी तन सिरणा द्वारा अपनी भूमि में से अवली देवी पत्नी सुल्तान धापली पत्नी धूड़ा कौम गुर्जर निवासी बालडी तन सिरणा को जरिये विक्रय पत्र बेचान की है। भूमि ख०न० 3105 रकबा 2.47 हे. मे हिस्सा 1/3 मे से 62/82 एवं ख०न० 3463 रकबा 1.97 मे से हि० 1/8 मे से 1/5 का एवं ख०न० 3597 रकबा 2.28 मे हिस्सा 1/2 में से 38/114 का विक्रय किया गया है। इसी अनुसार दिनांक 28-2-2008 को दूसरे विक्रय पत्र के जरिये भूमि ख०न० 3105 हि० 1/3 मे से हि० 20/82 ख०न० 3463 रकबा 1.97 मे हि० 1/8 मे से 1/5 का विक्रय किया गया है। नामा० सं 553 के अवलोकन से पाया गया कि 62/82 के स्थान पर हि० 62/86 अंकित किया है 38/114 के स्थान पर 28/114 दर्ज किया गया है। दोनो विक्रय पत्र दिनांक 28-2-2008 को हुए है परन्तु नामान्तकरण 28-2-2008 के स्थान पर 28-2-2006 अंकित किया गया है।

[signature]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हु... की तामील में जार...
	जो स्पष्ट विक्रय पत्र से साबित होता है। विक्रय पत्र अनुसार नामान्तकरण दर्ज नही किया गया भिन्नता है। भू० अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जांच स्पष्ट नही कि गई ना ही उक्त गलती पर ध्यान दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकार करते समय विक्रय पत्र तथा नामान्तकरण दोनो का मिलान किये बिना ही स्वीकार किया है। विक्रय पत्र व नामा० दोनो मे भिन्नता होने एवं नामान्तकरण मे हिस्सा व दिनांक गलत अंकित होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 5-5-2008 को पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विक्रय पत्र के मुताबिक नामा० दर्ज नही होने से ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाती है तथा ग्राम पंचायत सिराणा द्वारा दिनांक 5-5-2008 आदेश बाबत नामा० सं 553 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि दोनो विक्रय पत्र दिनांक 28/2/08 के अनुसार नामान्तकरण पुनः भरकर फैसल करें। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) (जगदीश प्रसाद गौड़) (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना	